न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
36/2017/प्रा.पत्र/2017	25.05.2017	08.08.2019

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री शेरू सिन्धी पुत्र आसन दास एफ.बी.ओ./मेनेजर मैसर्स विजय लक्ष्मी बेकर्स ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी सिन्धी कॉलोनी ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0
2– मैसर्स विजय लक्ष्मी बेकर्स ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0
3–श्री अशोक मुलानी पुत्र मूल चन्द मुलानी एफ.बी.ओ. मैसर्स महिमा ट्रैडर्स ब्लू केस्टल डा. अनिल जैन अस्पताल पास पडाव अजमेर राज0 निवासी 3 ख. 34 बधिर स्कूल के पास वैशाली अजमेर राज0
4– मैसर्स महिमा ट्रैडर्स ब्लू केस्टल डा. अनिल जैन अस्पताल पास पडाव अजमेर राज0
5–श्री गोविन्द राम जैन पुत्र तुलसी राम जैन प्रोपरायटर मैसर्स अग्रवाल बैकर्स बी 105 लक्ष्मी वाटिका विजयपुरा आगरा रोड जयपुर राज0
6– मैसर्स अग्रवाल बैकर्स बी 105 लक्ष्मी वाटिका विजयपुरा आगरा रोड जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

दिनांक 08.08.2019

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.01.2017 को समय 05.12 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स विजय लक्ष्मी बेकर्स ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से शेरू सिन्धी पुत्र आसन दास एफ.बी.ओ./मेनेजर मैसर्स विजय लक्ष्मी बेकर्स ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी सिन्धी कॉलोनी ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना तथा ऑल लाईन आवेदन करना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **रस्क (ठोस) ईलायची मिल्क मूल पैक** जिसके बैच नं. आर 01/17 व पैकिंग दिनांक 17.01.2017 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री शेरू सिन्धी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता शेरू सिन्धी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 250–250 ग्राम पैक की कुल 48 मूल पैक पैकेट मे से **रस्क (ठोस) ईलायची मिल्क मूल पैक** 4 पैकेट 250–250 ग्राम को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री शेरू सिन्धी को रू0 100/–अक्षरे एक सो रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रस्क (ठोस) ईलायची मिल्क मूल पैक** 4 मूल पैक पैकेट 250–250 ग्राम को ज्यो का त्यो चार अलग–अलग साफ व सुखे प्लास्टिक के चोकोर डिब्बे मे रखकर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1522 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1522 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. शेरू सिन्धी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का श्री शेरू सिन्धी ने कार्यालय मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर **रस्क (ठोस) ईलायची मिल्क मूल पैक** बतोर वारन्टी मैसर्स महिमा ट्रैडर्स ब्लू केस्टल डा. अनिल जैन अस्पताल पास पडाव अजमेर राज0का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 247 दिनांक 25.01.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स महिमा ट्रैडर्स ब्लू केस्टल डा. अनिल जैन अस्पताल पास पडाव अजमेर राज0ने मैसर्स मैसर्स अग्रवाल बैकर्स बी 105 लक्ष्मी वाटिंका विजयपुरा आगरा रोड जयपुर राज0 का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 4493 दिनांक 19.01.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/713 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/33/एक्ट/2017/35 दिनांक 10.02. 2017 अनुसार शेरू सिन्धी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रस्क (ठोस) ईलायची मिल्क मूल पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(ii) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **रस्क (ठोस) ईलायची मिल्क मूल पैक** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रस्क (ठोस) ईलायची मिल्क मूल पैक** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रस्क (ठोस) ईलायची मिल्क मूल पैक** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री गोविन्द राम जैन पुत्र तुलसी राम जैन प्रोपरायटर मैसर्स अग्रवाल बैकर्स बी 105 लक्ष्मी वाटिका विजयपुरा आगरा रोड जयपुर राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

(37)

पर शास्ती 11,000/— (अक्षरे ग्यारह हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner